

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

परिपत्र :-

क्रमांक ⁴⁵⁰²/दो-12-5/1987

नर्मदापुरम, दिनांक ⁰⁷10.2026

प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिला मुख्यालय एवं तहसील स्थापना पर पदस्थ कुछ तृतीय श्रेणी कर्मचारी एफआरएस पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

अतः जिला मुख्यालय एवं तहसील स्थापना पर पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि एफआरएस मशीन में कार्यालय के निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज की जाना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात् उपस्थिति दर्ज करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

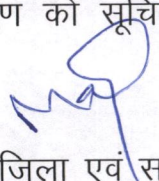
^{sd/-}
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम(म.प्र.)

पृ0क0 ⁴⁵⁰³/दो-12-5/1987

नर्मदापुरम, दिनांक ⁰⁷10.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

समस्त न्यायिक अधिकारीगण/प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग नर्मदापुरम/इटारसी/सोहागपुर/पिपरिया/सिवनी मालवा की ओर सूचनार्थ एवं अपने न्यायालय/अनुभाग में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को सूचित कर पालन कराये जाने हेतु अग्रेषित।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम(म.प्र.)